

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0-1-01/2012 /स्वा0/पटना,दिनांक /डा0 रामनगीना प्रसाद सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, रोहतास के विरुद्ध जिला स्वास्थ्य समिति, रोहतास, सासाराम संप्रति सेवानिवृत्त में डिजल घोटाले के क्रम में सही ढंग से पर्यवेक्षण नहीं करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0 1192(9) दिनांक 17.10.12 एवं संशोधित संकल्प सं0 685(9) दिनांक 29.7.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित पाया गया। विभागीय पत्रांक 966(9) दिनांक 06.9.2017 द्वारा डा0 सिंह से द्वितीय कारणपृच्छा की गई।

आरोप, अधिगम एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 रामनगीना प्रसाद सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, रोहतास, संप्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांक: 1183(9) /स्वा0, पटना, दिनांक: 11/11/2018  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना / सिविल सर्जन रोहतास / सासाराम / जिला पदाधिकारी रोहतास / सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री (स्वा0) के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 रामनगीना प्रसाद सिंह, तत्कालीन सिविल सर्जन, रोहतास पता-मो0-कुंती बिल्ला अपार्टमेंट F/4 खाजपुरा, अबंडकर पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव